यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) | **UCO BANK** (A Govt. of India Undertaking) | अंचल कार्यालय : ग्वालियर | **मेगा ई-नीलामी सूचना**

परिशिष्ट - IV क [नियम 8 (6) एवं 6(2) का परन्तुक देखें]

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 6(2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियाँ जो **यूको बैंक, संबंधित शाखा** प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का **कब्जा यूको बैंक, संबंधित शाखा** प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर निम्न वर्णित ऋणियों से **यूको बैंक, संबंधित शाखा** प्रतिभूत लेनदार की निम्न वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी।

ई-नीलामी की दिनांक एवं समय : 11.09.2026 को दोपहर 1.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक
(भारतीय समयानुसार) बीच 10 मिनिट प्रत्येक असीमित विस्तार के साथ
धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करने की अंतिम तिथि 11.09.2026 को सुबह 12.00 बजे तक

ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	मांग सूचना दि. / कब्जा दिनांक / वर्तमान बकाया राशि	बंधक संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड़ बढ़ाने की राशि
यूको बैंक, बरखेड़ा कटनी (1560) फोन : 9230501560			
ऋणी: **मैसर्स योगेन्द्र ट्रेडर्स** **प्रोपराइटर- श्री योगेन्द्र कुमार विश्वकर्मा**	13.05.2025 30.07.2025 ₹ 57,48,661.90 +अप्रभारित ब्याज/ अन्य खर्चे एवं शुल्क	संपत्ति का समस्त भू भाग भूमि एवं भवन स्थित भूमि क्षेत्रफल-1025 वर्गफीट स्थित खसरा संख्या-453/2 का भाग, मौजा ग्राम- मुरवारा, शिवा बिल्डकॉन कालोनी, जगमोहनदास वार्ड नं. 11, प.ह.नं. 42, आर. आई.सी मुरवारा1, कटनी पिनकोड- 483504, संपत्ति मालिक- श्री योगेन्द्र कुमार विश्वकर्मा चर्तुसीमाएं: पूर्व- किशनचंद की भूमि, पश्चिम- प्रस्तावित सड़क, उत्तर- किशनचंद निषाद का मकान, दक्षिण- किशनचंद निषाद का मकान, **भौतिक कब्जा**	₹ 42,52,000/- ₹ 4,25,200/- ₹ 10,000/-
ऋणी: **मैसर्स प्रांश एजेन्सीज** **प्रोपराइटर- प्रभाकर मनी मिश्रा** जमानतदार- **दया शंकर तिवारी**	10.12.2025 06.04.2026 ₹ 19,35,604.77 +अप्रभारित ब्याज/ अन्य खर्चे एवं शुल्क	संपत्ति का समस्त भू भाग भूमि एवं भवन क्षेत्रफल- 1800 वर्गफिट डायवर्टेड भूमि खसरा नं. 78/23 (1200 वर्गफिट) एवं 78/1 (600 वर्गफिट) का भाग स्थित ग्राम- देवरी मंझगवां, पी एच एन 28/13, तहसील- विजय राघवगढ़, जिला- कटनी-483880 संपत्ति मालिक: दयाशंकर तिवारी सीमाएँ: पूर्व- केदार दुबे की भूमि, पश्चिम- आशीष शुक्ला का मकान, उत्तर- मुकेश बर्मन केदार दुबे की भूमि, दक्षिण- प्रस्तावित रोड सांकेतिक कब्जा	₹ 26,98,000/- ₹ 2,69,800/- ₹ 10,000/-

बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तो के लिए कृपया दिए गए लिंक https://baanknet.com देखें।

उधारकताओं / जमानतदारों को एतद् द्वारा नीलामी की दिनांक के पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को करने हेतु सूचित किया जाता है अन्यथा उपरोक्त वर्णित संपत्ति की ई-नीलामी कर दिया जावेगा तथा शेष राशि ब्याज एवं अन्य खर्चों सहित उनसे वसूल की जावेगी। यह प्रकाशन सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत 30 दिवसीय वैधानिक सूचना भी है।

नियम एवं शर्तें :

1.ई-नीलामी ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है आधार'' और ''बिना किसी दावित्व के'' के आधार पर ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। बैंक संपत्ति को एक लॉट में या अलग से बिक्री का अधिकार सुरक्षित रखता है। नीलामी सर्विस प्रदाता (पीएसबी एलायंस के) वेबपोर्टल **https:// baanknet.com** पर आयोजित की जाएगी।

2. इच्छुक निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने से पूर्व संपत्ति से संबंधित कोई भार (इन्कम्ब्रेन्स), संपत्ति का स्वत्वाधिकार, दावे, देयताएं आदि जो किसी भी प्रकार से संपत्ति को प्रभावित करते हो, के विषय में स्वतंत्र निरीक्षण एवं जानकारी बोली लगाने से पूर्व स्वतः प्राप्त करें। ई-नीलामी विज्ञप्ति बैंक की प्रतिबद्धता अथवा प्रतिनिधित्व निर्धारित नहीं करता है। संपत्तियां समस्त मौजूदा एवं आगामी भार, चाहे वे ज्ञात हो या अज्ञात, के साथ विक्रय की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी / सिक्योर्ड क्रेडिटर संपत्ति पर किसी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकार/ देयता/भार के लिए जिम्मेदार नहीं होगा ।

3. **इच्छुक बोलीदाताओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बोली जमा करने से पहले संपत्ति/आयटम का निरीक्षण करें एवं संपत्तियों के संबंध में स्वयं संतुष्ट हों। इच्छुक बोलीदाता/खरीदार 07.09.2026 से 08.09.2026 तक सुबह 11:00 बजे से शाम 04:00 बजे के बीच ई-नीलामी में रखी गई संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।**

4. क्रेता को लागू स्टांप शुल्क/अतिरिक्त स्टांप शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, शुल्क आदि और किसी के भी बकाया सभी वैधानिक/गैर-सांविधिक बकाया, कर, दरें, मूल्यांकन शुल्क, आदि वहन करना होगा।

5. प्राधिकृत अधिकारी/बैंक उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसे बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर ई- नीलामी में प्राप्त किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/आगे बढ़ाने/रद्द करने या किसी संपत्ति या उसके हिस्से को वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।

6. बिक्री प्रमाणपत्र केवल क्रेता/आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा एवं किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जावेगा ।

7 बिक्री वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। विवाद की स्थिति में अंग्रेजी शब्द में लिखित अखबार को मान्य किया जायेगा।

तारीख : 06.08.2026
स्थान: ग्वालियर

प्राधिकृत अधिकारी
यूको बैंक